उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ

परिपत्रांक–सी– 15 /लेखा/2023–24 दिनांक 17-05-23

समस्त वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–सदस्यों को उनके जमा अंशधन पर लाभांश का भुगतान तथा अनुदान का समायोजन।

बैंक की सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 21.03.2023 द्वारा पारित प्रस्ताव सं0–7 में लिये गये निर्णय के अनुसार सदस्यों के जमा अंशधन पर वित्तीय वर्ष 2020–21 का लाभांश 2.25% की दर से घोषित किया गया है। शाखा के उन समस्त ऋणी सदस्यों को उनके जमा अंशधन पर वर्ष 2020–21 में 2.25 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान किया जायेगा, जो पूरे वर्ष बैंक में जमा रहा है। छः माह से अधिक परन्तु 01 वर्ष से कम अवधि की जमा अंशराशि पर छः माह का लाभांश अर्थात घोषित दर का 1/2 भाग का भुगतान/समायोजन किया जायेगा। छः माह से कम अवधि के लिए जमा अंशधन पर लाभांश का भुगतान/समायोजन नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2020–21 के देय लाभांश की लेखा प्रविष्टि निम्नवत् की जायेगीः–

(क) वर्ष 2020–21 का कुल देय लाभांश की राशि से ''प्रधान कार्यालय सामान्य खाते'' को डेबिट करते हुये ''देय लाभांश खाते'' को क्रेडिट किया जायेगा।

(ख) लाभांश की जितनी धनराशि भुगतान/समायोजित की जायेगी उतनी धनराशि से देय लाभांश खाते को डेबिट करते हुये ऋण के सापेक्ष वसूली (वसूली पर्यादान के अनुरूप) अथवा नकद (जैसी भी स्थिति हो) खाते को क्रेडिट किया जायेगा।

2–प्रधान कार्यालय के विभिन्न परिपत्रों द्वारा ऋणी सदस्यों को उनके जमा अंशधन पर घोषित लाभांश के भुगतान /समायोजन के निर्देश दिये गये है,परन्तु शाखाओं में अब भी धनराशि समायोजन हेतु अवशेष है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी दशा में दिनांक 31.03.2024 तक कोई भी धनराशि इस मद में असमायोजित न रह जाये।

3–लाभांश भुगतान/समायोजन के समय इस बिन्दु का भी ध्यान रखा जाये कि ऐसे ऋणी सदस्य जिनकी समस्त किस्तें अदा हो जाने अथवा किसी अन्य कारण से ऋण खाते बन्द हो गये हैं एवं उनके अंशधन पर लाभांश देय है तो ऐसे लाभांश का भुगतान नियमानुसार ऋणी सदस्यों को कर दिया जाये।

क्रमशः–2 पर

4–शाखाओं से प्राप्त 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुये वर्ष के संतुलन पत्र के ऑकड़ों से स्पष्ट होता है कि सब्सिडी/सण्ड्री खाते में भी अत्यधिक धनराशि असमायोजित पड़ी है। ऐसी असमायोजित धनराशि पर नाबार्ड एवं लेखा परीक्षा द्वारा गम्भीर आपत्ति उठाई गई है। अतः ऐसी धनराशि जिसका समायोजन नियमानुसार किया जा सकता है दिनांक–31.03.2024 तक अवश्य समायोजित कर दिया जायें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

17.5.23

(आर0 के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि –निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. उप महाप्रबन्धक/प्राचार्य, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ।
4. प्रबन्धक (आई0टी0सेल), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को बैंक की वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।

17.5.23

प्रबन्ध निदेशक